फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 71/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/80) **श्री सोराम के बजाय ऊंकार व अन्य बनाम श्री पप्पु मेघवाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी
2. श्री गिरधारी सिंह राव - वकील प्रत्यर्थी-1 से 5
3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-6

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, बप्रकरण संख्या 20/2017 निर्णय दिनांक 19.05.2017 (अनवान पप्पु मेघवाल बनाम सोराम)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 09.11.2022

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, बप्रकरण संख्या 20/2017 निर्णय दिनांक 19.05.2017 (अनवान पप्पु मेघवाल बनाम सोराम) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 से 5 श्री पप्पु मेघवाल व अन्य द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, विरूद्ध श्री सोराम गाडरी व अन्य, का पेश कर निवेदन किया कि उनके द्वारा खातेदार श्री मोती पिता परथा ढोली के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात को राजस्व ग्राम रकमपुरा में आवंटनशुदा आराजी नम्बर 1/2 रकबा 5 बीघा दर्ज रेकर्ड थी। खातेदार अलग अलग विक्रय पत्र के माध्यम से उनको (वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 से 5) 1-1 बीघा भूमि विक्रय की गई जिसका पटवारी द्वारा नक्शें में तरमीम करते हुए आराजी नम्बर 1/2 क, ख, ग, घ एवं 1/2 मीन बनाये गये। तत्पश्चात खातेदारान द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि का रूपान्तरण कराया गया। इस दौरान भू-प्रबन्य कार्यवाही होने से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के खरीदशुदा रूपान्तरित कृषि भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी जिसका भू-प्रबन्ध कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि उन्हे केवल मात्र पुराने इन्द्राज को दोहराना था, उनके द्वारा उनकी (वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 से 5) आराजी के बजाय नवीन आराजी नम्बर 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26 बना कर श्री सोराम व अन्य को राजस्व रेकर्ड के नक्शें में एवं नवीन जमाबंदी में अंकित कर दिया। इस गलती को सुधारा जाना आवश्यक है।
- उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा दर्ज रजिस्टर कर, उक्त प्रकरण को लोक अदालत कैंप मुकाम नवानिया में रखी जाकर, निर्णय दिनांक 19.05.2017 से स्वीकार फरमाया जाकर वांछित इन्द्राज दुरस्ती के आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 71/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/80) **श्री सोराम के बजाय ऊंकार व अन्य बनाम श्री पप्पु मेघवाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रदान किये गये।

उक्त निर्णय दिनांक 19.05.2017 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 15.08.2019 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 19.10.2022 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम आदेश पारित किया गया जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष यह साक्ष्य उपलब्ध था कि श्री सोराम की मृत्यु हो चुकी है फिर भी उसके वारिसान को कायम किये बिना अविधिक निर्णय पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त पत्रावली को कैंप कोर्ट में रखे जाने पूर्व भी पक्षकारान को सूचित नहीं किया गया जो आवश्यक था, जिसके कारण अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी, जिसके चलते अपील जानकारी होते ही मय प्रार्थना पत्र धारा-5 के प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारान को सुनते हुए पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी-1 से 5 ने बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण तथ्यों की जांच एवं तहसीलदार से जवाब प्राप्त कर विधिक तौर पर पारित किया गया है, परन्तु न्यायालय आप प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारान को सुनते हुए पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करते है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रत्यर्थी-6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 71/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/80) **श्री सोराम के बजाय ऊंकार व अन्य बनाम श्री पप्पु मेघवाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कारणों पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित निर्णय परोक्ष रूप से पारित किये जाने का प्रमुख कारण अंकित किया है। अपीलाण्ट के दफा 5 जाप्ता मियाद के आवेदन, अखण्डित शपथ-पत्र एवं न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 5 द्वारा साबिक सेटलमेंट एवं वर्तमान सेटलमेंट में उसकी आराजी के रकबे के अलावा नक्शे की त्रुटि के निराकरण के लिए इन्द्राज दुरूस्ती का निवेदन किया था। जिस अपीलार्थी द्वारा सभी प्रत्यर्थीगण को सम्मन दिनांक 27.02.2022 जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सोराम को तीन सम्मन एक ही दिनांक के पाये गये उसके एक सम्मन पर तामिल कुन्निदा द्वारा अंकन किया गया कि ''**पुत्रवधु ने बताया कि मेरे ससुर व सास की मृत्यु हो चुकी है,** मेरा पति ऊंकार पुत्र सोराम अहमदाबाद मजदुरी करता है, तामिल ऊंकार की पत्नि ने प्राप्त की''। उक्त अंकन से यह जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्री सोराम के फौत होने की स्थिति स्पष्ट थी, अधीनस्थ न्यायालय को प्रावधानोंनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री सोराम के वारिसान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित करने की कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की गई। अभिलेख के अवलोकन से यह कही ज्ञात नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत प्रकरण के अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्हें श्री सोराम के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित नहीं करने के संबंध में छुट दी जाए। बिना छुट के अभाव में इस न्यायालय की सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 19.05.2017 अकृत है क्योंकि वह मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। श्री सोराम की मृत्यु की सूचना अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के यहा प्रकरण लम्बित रहते हुए प्राप्त हुई, इस कारण उनके विधिक प्रतिनिधिओ को अभिलेख पर लेकर कार्यवाही की जानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि **अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो कानून की निगाह में शून्य है और निरस्त किये जाने योग्य है।**

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन प्रस्तुत किया किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत कैंप कोर्ट में रखी जाने पूर्व पक्षकारान को सूचित किये बिना, नोटिस/सम्मन दिये बिना पत्रावली कैंप कोर्ट में रख कर पत्रावली को निर्णित कर दिया जो लोक अदालत की भावना के विपरित है।

अपीलार्थी के उपरोक्त उज्र के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट आया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैंप कोर्ट में रखे जाने से पूर्व कोई नोटिस/सूचना पत्र पक्षकारान को प्रेषित किया हो। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा राजस्व न्यायालयों द्वारा लगाई जाने वाली लोक अदालतों संबंधी प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 13.08.1999 को जारी किये जिसके अनुसार पीठासीन अधिकारी को संबंधित पक्षकारान/अधिवक्ता पक्षकारान को लोक अदालत के संबंध में समुचित तामिल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त दिशा-निर्देश दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 71/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/80) **श्री सोराम के बजाय ऊंकार व अन्य बनाम श्री पप्पु मेघवाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13.08.1999 की पालना नहीं की गई और संबंधित पक्षकारों पर समूचित तामिल की कार्यवाही नहीं की गई। न ही लोक अदालत की भावना के अनुरूप प्रकरण का निस्तारण किया गया जिससे पारित अपीलधीन निर्णय दिनांक 19.05.2017 समर्थन योग्य नहीं है।

उल्लेखनिय है कि दौरान बहस, अधिवक्तागण अपीलार्थी द्वारा प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया जिस अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 5 द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई। ऐसी स्थिति में एवं उपरोक्त विवेचनानुसार यह न्यायालय प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को श्री सोराम के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेकर सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों/राजस्व अभिलेखों इत्यादि पर विचार विश्लेषण उपरान्त नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने बाबत प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता है।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्व अभिलेखों के आधार पर अपीलाण्ट के आवेदन के अनुसार धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिक निर्णय, श्री सोराम के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेकर, उभय पक्षकारों को सुनकर पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, भदेसर को प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर